संख्या- 24/2019 /1600/53-2-19-2(118)/15

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, आगरा, मैनपुरी, मेरठ, झांसी, जालौन(उरई), हमीरपुर, बांदा, महोबा, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, गोण्डा एवं बहराईच।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक- 05 दिसम्बर, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति (जिला योजना-एस0सी0पी0) अनुदान संख्या-83

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-644/दुग्ध-4/नियो0/सुदृढ़ी0-एससीपी/ 2019-20, दिनांक-04 दिसम्बर, 2019 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि रू0 2142.73 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 1071.36 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-15/2019/605/53-2-19-2(118)/15, दिनांक 08 मई, 2019 द्वारा निर्गत की गयी है। द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 1071.37 लाख (रू0 दस करोड़ □कहत्तर लाख सैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल **संलग्नक** के अनुसार स्वीकृत करते हुए सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/ उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) सम्बन्धित जनपदों की वास्तविक आवश्यकता एवं भौतिक लक्ष्यों के आधार पर धनराशि आहरित की जायेगी तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि को सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना के अन्तर्गत होने वाली बचतों में समायोजित किया जायेगा। साथ ही, सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति को भी यथासमय अवगत कराते हुए कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) यह धनराशि अनुसूचित जाति लाभार्थियों के लिए एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 के निर्धारित मानक के अनुरूप व्यय की जायेगी।

(3) यह धनराशि वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत चालू योजना के अधीन अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों के लिए अनुदान व्यय हेतु है।

(4) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(5) उक्त धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी। अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिये सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/ धनराशि का उपयोग करने वाले □ाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगे। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।

(6) एतदद्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग मात्र अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से गठित/पुनर्गठित समितियों पर ही किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो, सम्बन्धित दुग्ध संघ/समितियां अपने संसाधन से वहन करेंगे।

(8) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जाति के उपयोगिता के लिए निर्धारित मानकों/दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र दुग्ध आयुक्त को यथा समय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का होगा।

(10) यह भी शर्त है कि एतदद्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे-बही खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखे एवं बही खाते भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

(11) प्रश्नगत धनराशि का व्यय □ी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा और धनराशि किसी भी स्तर पर बैंक खाते/पी0एल0ए0/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(12) वित्तीय वर्ष के अन्त तक गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वर्ष वित्तीय स्वीकृतियों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय के अंत तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा तथा योजनावार/जनपदवार एव जिला योजना समिति से परिव्यय प्राप्त कर लिया जायेगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखा शीर्षक- **''2404-डेरी विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-06-वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान-27-सब्सिडी''** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक- 22 मार्च, 2019 द्वारा प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 24/2019 /1600(1)/53-2-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, प्रयागराज।
3- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/सम्बन्धित जिलाधिकारी/सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।
7- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8- सम्बन्धित □ाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0।
9- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
11- सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0/सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी।
12- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ विभाग को बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग के पत्र संख्या-07/26-ब0प्रा0-2015, दिनांक-27.03.15 के सन्दर्भ में प्रेषित।
13- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसा□ पर प्रदर्शित करने हेतु।
14- गार्ड फा□ल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 के शासनादेश सं0- **24/2019 /1600/53-2-19-2(118)/15**, दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2019-20 मे वर्तमानं दुग्ध संघो के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति

(जिला योजना-एस0सी0पी0) अनुदान संख्या-83 (धनराशि लाख रू0 में)

क्र०	जनपद	आहरण वितरण अधिकारी/ निवर्तन अधिकारी का पदनाम	दुग्ध संघों/समितियों के सुदृढीकरण, पुनर्गठन व विस्तार (जिला योजना-एस0सी0पी0)			
			स्वीकृति मदें			
			कार्यशील पूंजी	यातायात अनुदान	प्रबन्धकीय अनुदान	कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	आगरा	दु0वि0अ0 आगरा	0.000	1.380	38.910	**40.290**
2	मैनपुरी	उप दु0वि0अ0 मैनपुरी	12.360	1.700	6.000	**20.060**
3	मथुरा	दु0वि0अ0 आगरा	3.400	0.000	7.020	**10.420**
4	फिरोजाबाद	-तदैव-	12.310	1.630	15.000	**28.940**
5	अलीगढ़	दु0वि0अ0 आगरा	7.970	2.720	31.910	**42.600**
6	एटा	-तदैव-	4.080	1.780	0.000	**5.860**
7	झाँसी	उप दु0वि0अ0 झाँसी	10.470	2.380	6.100	**18.950**
8	जालौन(उरई)	उप दु0वि0अ0 जालौन(उरई)	1.680	0.670	0.000	**2.350**
9	हमीरपुर	उप दु0वि0अ0 हमीरपुर	1.340	3.630	13.600	**18.570**
10	महोबा	उप दु0वि0अ0 महोबा	1.020	0.410	0.000	**1.430**
11	चित्रकूट(कर्बी)	उप दु0वि0अ0 बाँदा	1.450	0.480	10.380	**12.310**
12	रायबरेली	दु0वि0अ0 लखनऊ	9.240	0.000	0.000	**9.240**
13	हरदोई	-तदैव-	7.600	0.000	0.000	**7.600**
14	उन्नाव	-तदैव-	28.220	0.000	9.000	**37.220**
15	सीतापुर	-तदैव-	8.680	0.000	6.000	**14.680**
16	लखीमपुर-खीरी	उप दु0वि0अ0 लखीमपुर-खीरी	16.660	0.000	1.660	**18.320**
17	बरेली	उप दु0वि0अ0 बरेली	1.700	0.850	18.170	**20.720**
18	बदाँयू	-तदैव-	3.540	1.450	0.000	**4.990**
19	पीलीभीत	उप दु0वि0अ0 पीलीभीत	1.010	0.340	0.000	**1.350**
20	शाहजहाँपुर	उप दु0वि0अ0 शाहजहाँपुर	13.940	2.380	0.000	**16.320**
21	मेरठ	दु0वि0अ0 मेरठ	32.390	0.000	11.490	**43.880**
22	गाजियाबाद	-तदैव-	8.160	0.000	0.000	**8.160**
23	गौतमबुद्धनगर(नोएडा)	-तदैव-	1.700	0.000	0.000	**1.700**
24	बुलन्दशहर	-तदैव-	19.040	0.000	0.000	**19.040**
25	सहारनपुर	दु0वि0अ0 मेरठ	9.520	1.360	8.550	**19.430**
26	मुजफ्फरनगर	-तदैव-	0.000	0.000	10.250	**10.250**
27	शामली	-तदैव-	1.700	4.190	2.500	**8.390**
28	मुरादाबाद	उप दु0विअ0 रामपुर	23.220	2.960	45.830	**72.010**
29	अमरोहा	-तदैव-	18.360	1.700	0.000	**20.060**
30	रामपुर	-तदैव-	3.740	0.680	0.000	**4.420**
31	बिजनौर	-तदैव-	23.800	1.360	0.000	**25.160**
32	वाराणसी	उप दु0वि0अ0 वाराणसी	9.740	5.440	12.040	**27.220**
33	चन्दौली	-तदैव-	10.000	0.000	0.000	**10.000**
34	गाजीपुर	-तदैव-	5.090	1.020	0.000	**6.110**
35	जौनपुर	-तदैव-	5.100	1.010	0.000	**6.110**
36	सन्तरविदासनगर	उप दु0वि0अ0 वाराणसी	0.970	0.000	0.000	**0.970**
37	मिर्जापुर	उप दु0वि0अ0 मिर्जापुर	4.080	0.690	0.360	**5.130**
38	सोनभद्र	उप दु0वि0अ0 सोनभद्र	2.720	0.340	0.000	**3.060**
39	देवरिया	उप दु0वि0अ0 देवरिया	16.100	3.860	13.440	**33.400**
40	कुशीनगर	-तदैव-	13.000	0.850	1.050	**14.900**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

41	बस्ती	उप दु0वि0अ0 बस्ती	0.000	2.380	11.060	**13.440**
42	संतकबीरनगर	-तदैव-	6.460	0.000	0.000	**6.460**
43	सिद्धार्थनगर	उप दु0वि0अ0 सिद्धार्थनगर	0.310	1.060	0.000	**1.370**
44	मऊ	उप दु0वि0अ0 मऊ	1.770	0.880	0.490	**3.140**
45	बलिया	-तदैव-	7.510	1.190	0.000	**8.700**
46	प्रयागराज	दु0वि0अ0 प्रयागराज (□ाहाबाद)	23.340	2.920	108.020	**134.280**
47	फतेहपुर	-तदैव-	2.380	0.680	0.000	**3.060**
48	प्रतापगढ़	उप दु0वि0अ0 प्रतापगढ़	4.080	1.360	0.000	**5.440**
49	कानपुर नगर	उप दु0वि0अ0 कानपुर	0.000	0.000	46.920	**46.920**
50	कानपुर देहात	-तदैव-	5.610	1.770	0.000	**7.380**
51	फर्रूखाबाद	-तदैव-	10.710	2.380	0.000	**13.090**
52	कन्नौज	-तदैव-	9.690	3.060	0.000	**12.750**
53	□ावा	-तदैव-	4.080	1.020	0.000	**5.100**
54	अयोध्या	उप दु0वि0अ0 अयोध्या (फैजाबाद)	0.000	0.000	26.470	**26.470**
55	अम्बेडकरनगर	उप दु0वि0अ0 अम्बेडकरनगर	5.060	1.190	0.000	**6.250**
56	सुल्तानपुर	-तदैव-	28.900	0.680	4.000	**33.580**
57	अमेठी	-तदैव-	10.200	0.680	0.000	**10.880**
58	बाराबंकी	उप दु0वि0अ0 अयोध्या (फैजाबाद)	13.640	1.190	0.000	**14.830**
59	गोण्डा	उप दु0वि0अ0 गोण्डा	3.700	1.020	11.190	**15.910**
60	बलरामपुर	-तदैव-	7.480	0.610	0.000	**8.090**
61	श्रावस्ती	उप दु0वि0अ0 बहरा□च	3.060	0.000	0.000	**3.060**
62	बहरा□च	-तदैव-	**18.870**	0.680	0.000	**19.550**
कुल योग			**521.950**	**72.010**	**477.410**	**1071.370**

(रू0 दस करोड़ □हत्तर लाख सैंतीस हजार मात्र)

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।